अनुवानीः— घनश्याम बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 41 / 2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03 / 41 / 2025 ऑनलाईन नम्बरः– 2025 / 238 प्रवेश तिथिः–06.08.2025

1. घनश्याम सैनी पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी कबीरान का वास कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर।

..................प्रार्थीया

बनाम्

1. तहसीलदार महोदय, राजगढ जिला अलवर।

................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सुभाष सैनी एड0–प्रार्थीया

–:निर्णयः– दिनांकः–03 / 12 / 2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 426 / 0.0400, 427 / 0.1900, 428 / 0.1200, 429 / 0.04, 475 / 0.0100, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी 1 / 66 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी की हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम **सहवन से घीसाराम पुत्र भौरेलाल** दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य रिकार्ड में **घनश्याम पुत्र भौरेलाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम **घनश्याम पुत्र भौरेलाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक कोर्ट / आर.ए. / धारा–136 / 2025 / 209 दिनांक 06.08.2025 से तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2168 दिनांक 30.10.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 426 / 0.0400, 427 / 0.1900, 428 / 0.1200, 429 / 0.04, 475 / 0.0100, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में **प्रार्थी का नाम घीसाराम पुत्र भौरेलाल** सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि **घीसाराम व घनश्याम एक ही व्यक्ति है**। जिसका सही **जिनका सही नाम घनश्याम** होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

3. बहस वकुलाय सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकुलाय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 426 / 0.0400, 427 / 0.1900, 428 / 0.1200, 429 / 0.04, 475 / 0.0100, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से घीसाराम गलत दर्ज कर दिया। जिसका सही नाम मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.10.2025 के अनुसार घनश्याम है। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.10.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 426 / 0.0400, 427 / 0.1900, 428 / 0.1200, 429 / 0.04, 475 / 0.0100, वाके ग्राम कारोठ *तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम घीसाराम पुत्र भौरेलाल दर्ज रिकार्ड है उसके स्थान पर घनश्याम उर्फ घीसाराम पुत्र भौरेलाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार राजगढ को निर्णय की पालना के लिए एक प्रति के साथ तहरीर जारी हो।*

निर्णय आज दिनांक 03 / 12 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते